प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक– 12.10.2019

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–:

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

गोण्डा। वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुपालन में दिनांक 11.10.2019 को जनपद के थानों से 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 100 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

01. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. कुन्ने पुत्र राममिलन निवासी ढोढेपुर थाना तरबगंज गोण्डा 02. रामविनायक मौर्या पुत्र खुशीराम निवासी कडरहनपुरवा थाना तरबगंज गोण्डा के कब्जे से 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद व लगभग 02 कि0ग्रा0 यूरिया व 01 कि0ग्रा0 नौसादर बरामद कर मु0अ0सं0– 285/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भा0द0वि0 तथा 02. महेश सिंह पुत्र गायत्री प्रसाद निवासी चौकडिया थाना नबाबगंज गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0– 286/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

02. थाना कटरा बाजार द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. पप्पू उर्फ खरजूल पुत्र रामनाथ पासी निवासी बल्दीपुरवा थाना कटरा बाजार गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–233/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

03. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. नकछेद पुत्र स्व0 रामसकल निवासी पूरे सुकाली थाना धानेपुर गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–361/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड व जानमाल की धमकी देने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस ने छेड़छाड व जानमाल की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त –धनीराम पुत्र ओमप्रकाश निवासी लदईपटटी पाडेपुरवा थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा को थाना कटराबाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0–231/19 धारा– 452, 354, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 09/10.10.2019 को थाना कटराबाजार क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर छेड़छाड व जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की माँ द्वारा थाना कटराबाजार में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कटराबाजार पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को दिनांक 11.10.2019 को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

लड़की का अपहरण करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना इटियाथोक पुलिस ने लड़की का अपहरण करने के आरोपी अभियुक्त –अनिल कुमार पासी पुत्र रामसबुरे निवासी कलेना थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को थाना इटियाथोक पर पंजीकृत मु0अ0सं0–269/19, धारा 363.366 भादवि के तहत किया गिरफ्तार।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 18.09.2019 को थाना इटियाथोक क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना इटियाथोक में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें पुलिस अधीक्षक गोण्डा राजकरन नय्यर ने थानाध्यक्ष इटियाथोक को त्वरित कार्यवाही करने व अपहृता की शीघ्र बरामदगी हेतु निर्देशित किया था। जिसमें इटियाथोक पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अपहृता को बरामद कर दिनांक 11.10.2019 को मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्त को गोण्डा–बलरामपुर मार्ग, अर्जुनपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया।